# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1704–दो/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–8–2010 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 453/अपील/2008–09

.....

जयप्रकाश पिता राधेश्यामजी यादव
निवासी ग्राम आजन्दा तहसील बडनगर जिला उज्जैन
..... आवेदक

विरूद्ध

1–राधेश्याम पिता रणछोडलालजी यादव
2–बसंतीलाल पिता रणछोडलालजी यादव
3–बाबूलाल मृत वारिस :–
अ–संजय पिता बाबूलालजी
ब–नागेश्वर पिता बाबूलालजी
स–रेखा पुत्री बाबूलालजी
द–राजुबाई पति बाबूलालजी
4–सुहागबाई पुत्री रणछोड़लालजी
5–तेजाबाई पति रणछोडलालजी
समस्त निवासीगण ग्राम आजंदा
तहसील बडनगर जिला उज्जैन म0प्र0
..... अनावेदकगण

.....

श्री अशीष बैध, अभिभाषक–आवेदक

.....

## :: आदेश ::

( आज दिनांक 26/10/16 को पारित )

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा ) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–08–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार बड़नगर के समक्ष संहिता की धारा 109–110 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके दादाजी रणछोड़लाल की ग्राम उबराडीया स्थित भूमि सर्वे कमांक 241 रकबा 3.31 एवं सर्वे कमांक 2242 रकबा 0.09 एकड़ है । उनके दादाजी का स्वर्गवास हो गया है और उनके द्वारा आवेदक के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया है, अतः रणछोड़लाल के स्थान पर उसका नामान्तरण किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 03/अ–6/05–06 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान एक आवेदन पत्र स्वर्गीय रणछोड़ लाल के वारिसान की ओर से बंसतीलाल ने ग्राम पंचायत में नामान्तरण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । उक्त आवेदन पत्र पर आपत्ति प्रस्तुत होने से ग्राम पंचायत ने आवेदन पत्र तहसीलदार को कार्यवाही हेतु भेजा । तहसीलदार द्वारा दोनों आवेदन पत्र पर उभयपक्ष को सुनकर दिनांक 31–07–2007 को आदेश पारित किया जाकर वारिसाना नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–06–2009 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश यथावत् रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 26–08–2010 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि स्वर्गीय भूमिस्वामी रणछोड़लाल की स्वअर्जित संपत्ति थी, जिसे स्वअर्जित संपत्ति नहीं मानकर तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि रणछोड़लाल द्वारा प्रश्नाधीन भूमि दिनांक 6–8–73 को पंजीकृत विक्रय पत्र के

माध्यम से क्रय की गई है । इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रश्नाधीन भूमियॉ पैतृक मानने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि वसीयतनामा साक्ष्य से सिद्ध किया गया है, अतः तहसील न्यायालय को आवेदक के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित करना चाहिये था, परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं करने में तहसील न्यायालय द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है और तहसीलदार के आदेश की पुष्टि दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा करने अनुचित कार्यवाही की गई है, इसलिये तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने प्रश्नाधीन भूमि को केवल इस आधार पर पैतृक भूमि माना है कि आवेदक की ओर से प्रश्नाधीन भूमि स्व0रणछोड़ लाल की स्वअर्जित भूमि होने के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जबकि तहसीलदार का यह विधिक दायित्व था कि वे राजस्व अभिलेखों से यह सुनिश्चित करते कि प्रश्नाधीन भूमि वास्तव में पैतृक भूमि है अथवा स्वअर्जित भूमि, क्योंकि आवेदक की ओर से इस न्यायालय में यह आधार लिया जा रहा है कि प्रश्नाधीन भूमि स्व.रणछोड़ लाल द्वारा दिनांक 6–8–1973 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा वसीयतनामे को इस आधार पर संदिग्ध माना है कि स्व0रणछोड़ लाल बीमार रहते थे एवं गवाहों के कथन में विरोधाभास है । इस संबंध में भी तहसीलदार द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जाना चाहिये था कि स्व. रणछोड़ लाल वसीयत करने की स्थिति में था अथवा नहीं । स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अतः अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार के अवैधानिक आदेश की पुष्टि करने

में त्रुटि की गई है, इसलिये उनके आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है । इस प्रकरण में में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुये उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर प्रकरण का निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–08–2010, अनुविभागीय अधिकारी, बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–06–2009 एवं तहसीलदार तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–07–2007 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण करने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर